

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 224*2

दिनांक 0 5-8-20 ×

मैसर्स भूमिजा रियल स्कवायर एलएलपी जरिये डेजीगनेटेड पार्टनर गंगा सिंह तवंर पुत्र श्री सहदेव सिंह निवासी आफिस नं. 610, काउन स्कवायर गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर

उपरोक्त विषयान्तर्गत के कम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम बिन्दायका तह. जयपुर (जयपुर) के ख.नं. 788/201, 792/202 कुल किता 02 रकबा 1.4565 हैक्टयर भूमि में प्रस्तावित आवासीय योजना ''भूमिजा प्राईम ब्लॉक बी'' आवासीय योजना में रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन मुक्त कर भूखण्डों का इन्द्राज योजना मानचित्र में अंकित कर दिया गया है, मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत है। योजना के समस्त भूखण्ड रहन मुक्त किये जाते है। सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

जन उपायन जयपर विकास प्राधिकरण, जयपु

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर—302 004 दुरभाष — +91—141—2574798 : ईपीबीएक्स — +91—141—2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स—+91—141—2574555 Ref No. KRA/B.P.-B/C.C./2022-23/31

Date: - 12/ 07/2022

COMPLETION CERTIFICATE

of Development Works in

"BHUMIJA PRIME BLOCK-B" RESIDENTIAL SCHEME

At Khasra No. 788/201, 792/202, Village Bindayaka, Tehsil & District Jaipur

DEVELOPER NAME: - M/S BHUMIJA REALSQUARE LLP



KR ASSOCIATE (ER. RAHUL KUMAR) Civil Engineer & Chartered Engineer Email Id:- <u>krassociate.07@gmail.com</u> Phone No.+91 9799801708

CONTENTS

`

.

1. Introduction
2.Township Policy 2010:
3. Development Work:
4. Layout plan of scheme Bhumija Prime Block-B7
5. Satellite Image:
6. Annexure:
6.1 Images of development works at "BHUMIJA PRIME BLOCK-B" Residential Scheme 9-10
6.2 Completion Certificate:
6.3 Circulars



1. INTRODUCTION

The "**BHUMIJA PRIME BLOCK-B**" is a residential scheme located at khasra no. 788/201 & 792/202, Village Bindayaka, Tehsil & District Jaipur-302012. It falls in Zone 12 of JDA Planning Zone. The scheme is proposed over a total scheme area is 13432.81 Sqm. As per Township Policy 2010, 10 Plots (Plot No. 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 and 73) having Total area of 982.45 Sq. Mtrs equaling to 12.5% have been kept mortgage. These plots would be allotted after the internal development work is completed and development charges are deposited with Jaipur Development Authority. It is a plotted development project there is no parking details are required. The area distribution of the land use & The area analysis of the scheme is as follows:

S. No.	Land Use	Area (In Sqm.)	Percentage (%)
1.	Residential	7514.67	55.94%
2.	Retail	80.00	0.60%
A.)	ГОТАL (1+2)	7594.67	56.54%
3.	Park	671.77	05.00%
4.	Solid Waste Disposal	50.31	0.37%
5.	Mobile Tower	20.09	0.15%
6.	Public Facility	75.00	0.56%
7.	ZDP Road	690.40	05.14%
8.	Road	4330.57	32.24%
B.) T	OTAL (3 To 8)	5838.14	43.46%
SCHEN	AE AREA (A+B)	13432.81	100.0%
AREA NO	T IN POSSESSION	113	2.19
ТО	TAL AREA	14565.00	SQ. MT.

2. TOWNSHIP POLICY 2010:

The scheme is categorized as residential township which is envisaged under the Rajasthan Township Policy, 2010. The guidelines for approval / completion of internal development works as per the policy are as follow:

- In order to ensure quality development certain norms as mentioned below are being laid down. It is necessary that the developer should submit along with application for approval the following details:
 - Layout plan showing details of area to be utilized under plots, built up space, roads, open space for park, garden and play ground and other public utility and amenities, services and facilities.
 - (ii) Details of nearby development (at least in the vicinity of 100 meters) along with its superimposition on sector plan.
 - (iii) Details of internal development works as per specifications mentioned below
 - (iv) Details of eco friendly amenities provided;
 - (v) Plan showing HFL of major lakes, water body, if any

mbership Number AM-3029436 fered Eng Page 3 of 16

- In Residential Schemes and other schemes internal development works such as Construction
 of roads, Laying of power line and Street lighting, Laying of Water lines, Development of
 Water Sources (Tube well), Ducting for road crossing, Construction and development of
 Parks and services area, Plantation along roads sides and parks shall be done by the
 developer only.
- Work for laying of sewer line, storm water drainage, overhead Water tanks shall be done by ULB at a combined level of various adjoining schemes for which necessary charges shall be paid by developer to the ULB as per details below:
 - (i) Lying of sewer lines Rs.50/- Per Sq m. of total area.
 - (ii) Storm water drains Rs. 40/- Per Sq m. of total area.
 - (iii) Construction of Over head tanks (optional for ULB) Rs. 50/- Per Sqm. of total area

Note:

- I. The above amount is an average amount. However ULB may increase the charges of above items based on actual cost of the work. The above amount shall be deposited along with EDC at the time of issue of Patta.
- II. For ensuring internal development of the area, Patta / lease deed (Sale permission) of 12.5% of the saleable plots will be withheld by the ULB.
- III. In case of plot for group housing of size more than 2 hectares, 5% area of plot (an independent plot with proper approach) shall be surrendered to the ULB for facilities. For plot size less than 5 acres, amount equivalent to5% of the area calculated at residential reserve price of that area shall be deposited with ULB.
- IV. In case of single Patta for Group Housing land for sector commercial shall not be surrendered to ULB.

• Construction of Roads

- (i) All the internal road networks including draft sector plan / master plan roads within the scheme are to be developed by the developer. The sector roads are to be accommodated.
- (ii) The internal roads should be minimum 9 meters wide where the length of the road is up to 100 meters and 12 meters wide where road length is more than 100 meters.
- (iii) However, as for as possible no row of plots should be more than 200 mtrs in length accept the sector plan / zonal plan / main arterial roads having width 18 M & above. The technical specifications for road construction shall be as follows:

S.No.	Row	Paved width	Berms with (both side)
1.	9meter	5.5 meter	1.5 meter
2.	12meter	5.5 meter	2.5 meter
3.	18meter	5.5 meter (2 lane)	2.5 meter
4.	24meter and above	2 lane each 7.5 meters with divider	2.5 meter

- a) Level and the specifications shall be finalized by the ULB keeping the specifications laid down by IRC.
- b) Gradient shall be as per Indian Road Congress / CRRI.



- c) Granular Sub-base (200mm compacted)
- d) 1st layer WBM/WMM Base (230mm compacted)
- e) 2nd layer Sand Bed (20-30mm compacted)
- f) 3rd layer Interlocked paver block (60-70mm Grade M30)

Power Supply and Street Lighting

- a) The development of electrification, power network and power load requirement in any scheme shall be in accordance with the norms, rules & regulations of State electricity agency. After the completion of the electrification work, the developer shall handover the complete system to the concerned electricity distribution company.
- b) Street Lights All the roads having above 18 meters width shall have divider as well as the street poles fixed on the divider having the provisions of underground cabling. Other roads will have streetlights on electric poles or single light poles erected on either side of the road. The distance between poles should not be more than 30 meters. The illumination levels of the roads shall be as per the standard of local electricity authority / National Building Code. After the completion of the street light work, the developer shall handover the complete system to the ULB / Maintenance Agency.

Water Supply

All the water lines should be underground having a provision of providing connections to the plot. The sizes of water pipe should be per PHED norms. The scheme should have underground water tank as well as over head water tank as per PHED norms. The complete water supply shall be in accordance with the technical guidelines of the PHED.

After the completion of the water supply scheme, the developer may hand over the laid distribution and storage system to the PHED/ULB/private operator.

Sewerage & Drainage

All the plots in the scheme should be well connected with the underground sewerage line with proper slope; the sewerage line should normally be located close to the boundary wall of the plots (within about 10 ft.) with a provision for connection of plots.

Horticulture & Plantation

All roads should have plantation tree guards on both sides having minimum of 30 trees per acre of the gross area. Trees of 5 feet or more height should be planted. All the parks should be developed by the developer and maintained by the developer till the scheme is completed and handed over to ULB or to the Resident Welfare Society.

• Rain water Harvesting and Water recycling

Community rain water harvesting structures shall be constructed by developers. Similarly water recycling shall be provided as per Building Regulations and water from all water outlets and drainages should be collected for recycling for gardening, washing etc. by the ULB

Number AM-3029436 ered Eng Page 5 of 16

3.) DEVELOPMENT WORK OF "BHUMIJA PRIME BLOCK-B" RESIDENTIAL SCHEME

Sl. No.	Heading	Status	% Of Work Done
1	SUB-BASE & SUB GRADE (1 st & 2 nd layer)	1 & 2 Layers complete	100%
	Interlocked paver block Grade M30, (3rd layer)	3 Layers complete	100%
2	Sewer Line	Completed	100%
3	Water supply First phase	Completed	100%
	Water supply Second phase	Completed	100%
4	Electrification	Completed	100%
5	Drainage & Water harvesting work	Completed	100%
6	Parks & facilities development	Completed	100%
7	Street light	Completed	100%
8	Tree plantation work	Completed	100%
9	Service duct pipe line in roads	Completed	100%



4.) LAYOUT PLAN OF "BHUMIJA PRIME BLOCK-B" RESIDENTIAL SCHEME



5) SATELLITE IMAGE OF "BHUMIJA PRIME BLOCK-B" RESIDENTIAL SCHEME

Co-Ordinates:- Latitude 564336.25 m E, Longitude 2976278.41 m N Latitude 564330.62 m E, Longitude 2976249.43 m N Latitude 564608.72 m E, Longitude 2976194.53 m N Latitude 564620.89 m E, Longitude 2976240.06 m N

ions PvtMohit Polytech Private Limited

योग नगर

Bindayka Fire Station

PRESTIGE GARDEN प्रेस्टीज गार्डन

60 Feet Ro

shree Kirana StoreSTUDIO SHILPIK

BattRE Electric Mobility Pvt

Bumija Prime B-Block

Vinayak Cricket ground

(वि नायक सि दी

Image © 2022 Maxar Technologies



Page 8 of 16

6) ANNEXURE:

6.1) Images showing the status of development works on site at "Bhumija Prime Block-B" Residential Scheme











Page 10 of 16

6.2) COMPLETION CERTIFICATE

Name of the Chartered Engineer	:	Er. RAHUL KUMAR
Name of the Scheme		"BHUMIJA PRIME BLOCK-B" Residential Scheme
Address of the scheme	:	Scheme located At Khasra No. 788/201 & 792/202, Village Bindayaka, Tehsil & District Jaipur-302012
RERA Registration No. & Date	:	RAJ/P/2022/1904 (22/03/2022)
Area of scheme	:	13432.81.0 Sqm.
Saleable area of scheme	:	7594.67Sqm.
Scheme Inspection on Dated	:	10/07/2022
Contact No.	:	+91 9799801708

Summary of development works completed by the developer till the date of inspections is given in the following heads:-

A. Road work

Status of work: GSB & WMM (1st & 2nd Layer): Work is completed Interlocked paver block (3rd Layer): Work is completed

B. Sewer Line

Status of work: Work is completed

C. Water Supply

Status of work: Phase-1st Work is completed Phase-2nd Work is completed

D. Electrification Status of work: Work is completed

E. Drainage & Water Harvesting Status of work: Work is completed

F. Development of Parks Status of work: Work is completed

G. Street Lighting Status of work: Work is completed

H. Plantation

Status of work: Work is completed

I. Ducting

Status of work: Work is completed

HUL Membership Number 307041 red En

Summary of development charges against which various works have been completed by the developer in the scheme of " Bhumija Prime Block-B"

S.	Type of	Phase/	Charges / weightage	Work	Work Done at
No.	Development Work	Description	as per Govt. orders	Done (in	the time of visit
				%)	in amount/Sqm.
1	Road work	1st & 2nd	25	100.00%	25.0
		Layer GSB &			
		WMM			
		3rd Layer	35	100.00%	35.0
		Interlocked			
		paver block,			
		Grade M30			
2	Sewer Line		30	100.00%	30.0
3		Phase I	21	100.00%	21.0
	Water Supply	Phase II	35	100.00%	35.0
4	Electrification		45	100.00%	45.0
5	Drainage & Water Harvesting		25	100.00%	25.0
6	Development of Parks		20	100.00%	20.0
7	Street Lighting		5	100.00%	5.0
8	Plantation		4.5	100.00%	4.5
9	Ducting		4.5	100.00%	4.5
Tota	al	1	250	100.0%	250.0



6.3) CIRCULAR

ायपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर Partino 1-12 -015 जनाता- जनजिजा/ २३११ ३३१ / २०२८ / D-1674 आदेश वाजास्थान में आयासीय परियोजनाओं / टाउनशिय विकसित करने के रिए नियो निवेश की नीति के तहत नगरीय विकास एवं स्वायम्त शासन दिनाग इन्छ जाही अधिमूचना दिलांक 112002 एवं 15.12002 के दन व दल कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमाक: जविम्रा / अक्षा / पूर्व / 2003 / क्वी-715 विभागः 38.6.2003 से भिजी खातेदार/ विकासकर्ताओं की आवासीय योजनाओ हेन्द्र यिशा-मिर्देश जारी किये गये थे । उयत दिशा-निर्देशों में शतद द्वारा निरम्ताकिता धिन्दुओं में संशोधन एवं परिवर्धन किया जाता है एवं होय विशा-निर्वेश अप्रेश दिनाकः १८.६.२००३ के अनुसार यथावत रखे जाते हैं -निजी खातेदार/ विकासकर्ता की आवासीय योजनाओं में दिभिन्न दिकास कार्यों के लिए प्लौट एरिया के आधार पर निम्न शुक्ल निर्धारित किरे जारे हैं ---आंसरिक विकास हेन् टिमाणी तर रुपयी विवरण क.स. में प्रति वर्ग मीटर विकय योग्य क्षेत्रकान पर यह कार्य निजी सहर हारा अपने सार पर भौ का लिमांग कार्य Part प्राधिकरण के (छ) दो लेयर। 25.00 मापदण्डों के अनुरूप करवाए डब्ल्यू वी.एम. जा सकते हैं । सडक (ब) तीखरी लेगर 35.00 / एवं दानरीकरण लाइन का TALL सीवर 30.00 लीधर लाइन का प्राधिकरण के द्वारा ही करवाया करन्द्र जाएगा । आरः अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व यह राशि प्राधिकरण में जमा करवानी होगी । 3 जल आपूर्ति 14 • भविष्य में जाल आयुर्ति का 1050 समरत कार्य प्राधिकरण के हारा ही करमाया जाएगा । प्रधाम चरण : जल 21.00 1 • वर्तमान में प्रथम चरण का आपूर्ति लाइने एवं कार्य निजी निवेशकर्ता द्वारा 203 चैला 251 जन स्वारध्य अनियांत्रिकी/ निर्शाना प्राधिकरण रो योजना का अनुमोदित कराकर 100 ischa. चरण ः 35.00 सकेगा । उत्पादन. • द्विसीय सरण के कार्य की ग्रानी धरी ओवर राशि, प्राधिकरण में जना 10 ट्यों एव ्रियल जलासय कडानी होनी ।

Page 13 of 16

.	विद्युतीकरण का		इस कार्य को निजी विकासक
	कार्यः		द्वारा अपने स्तर पर जे.वी.1
224			एन.एल. के निर्धारित मापदण
200	लाइन डालने का	45.00 /	के अनुरूप करताया जा सक
	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR		हे तथा निजी विकास कर्ता दा
2	कार्य मय जे.वी.ची.		a second s
	एन.एल. में जमा		उक्त कार्य को जयार विद्य
	होने बाली राशि		वितरण निगम हस्तांत रेत कर
			के उपरान्त ही अधिव स प्रमा
	and the second		पन्न जारी किया जा सकेगा
14 19			र्वेफल्पिक तौर पर निज
			विकासकर्ता यह रागि
	and the second second		प्राधिकरण में जमा कर
			सकेगा ।
5	नालियाँ एवं वाटर	25.00	यह कार्य प्राधिकरण द्वारा ह
	हारवेरिटंग का		करवाया जाएगा । ातः य
	कार्ग ।		राशि प्राधिकरण में जमा कराने
			होगी। ह
6	पार्को का विकास	20.00 ,	राह कार्य निजी दिग्दासकत
-	यगर्थ।	J	द्वारा अपने रतर पर भी
	A STATE OF STATE		प्राधिकरण के निर्धारित
P III		B + 1/1-1	मापदण्डों के अनुक्तम करवार
			जा सकते हैं ।
7	स्ट्रीट लाइट का	5.00	यह कार्य निजी विद्यासकत
11	कार्य।	2.00 5	दारा अपने रतार ।र गी
	4441		प्राधिकरण के नेधारित
1 Sala	A THE REAL PROPERTY OF		मापदण्डों के अनुरूप करवाए
11.00	The state of the second	a service	जा सकते हैं तथा अधिवास
	and the second second		प्रमाण पन्न के जारी होने से
11.5			पहले जयपुर नगर निगम को
	the second second		सम्भलवाना होगा । उकल्पक
			तौर पर निणी विकासकर्ता /
1 State	Real Providence	Adama	खातेदार स्ट्रीट लाइट के कार्य
156			की र.शि जयपुर विकास
100		and the	प्राधिकरण ों जमा करा
1-1-1-1			राकेगा।
8		4.50 J	यह कार्य निजी वियासकरी
1 364	कार्य		द्वारा आपने प्रतर पर भी
			प्राधिकरण के तिलिल
	The second		भागदण्डों के आनुरत्य करवाए
1		and the second	जा समात है।
9	संख्या में सार्वसेज	4.50	वतनान में सविरोज को सडक
	यो लिए उपट		काटकर भूभिगत किरा आ रहा
1.10	डालने का कार्य या सर्वित्रेज को		है. अतः इनकी मरम्भत का
T	लिए काष्ट्री शई		कार्य जो भविष्य में अन वश्वक
at she	संख्यां की मरमारा		होगा. को प्राधेकरण द्वारा ही
1	an attack	REE	करवाया जाएगा । अतः यह
1:50	Aller State	Partine -	शशि पालिकरण में जमा करानी
line	म्ल	250.00	teruff 1
	IL THE REAL PROPERTY AND INCOMENTATION.	and the	

8

 भागंक: जेग्रई-द विशिष्टिग्ते का किंदु स्थामीय शिषिद्वगिरुत्म की निदेशक-अभियां आज दिमांक से जो प्राधिवरण के निजी खालेदार/ अनुरूप करवाये देय नहीं होगी । आतरिक विकास देय नहीं होगी । आतरिक विकास देय नहीं होगी । आतरिक विकास देय नहीं होगी । आतरिक विकास प्रे त्वय के स्त करवाया जा हुव में समायोजित के मी द्वय के स्त करवाया जा हुव में समायोजित के प्राडक की बीखा प्री द्वय के स्त करवाया जा हुव में समायोजित के प्राडक की बीखा प्री हो दकास ज स्वास्थ्य अभियां कार्यालय से अन् सबलेगा । यरिध य विकास कार्यालय से अन् सबलेगा । यरिध य विकास के लिए आराधि घोषित किया के लिए आराधि घोषित किया 	तेडीए/ वी- नेपरिश्ववियों के अ आवश्यकता महसूस त्रेकी के माध्यम से अ यूर्त उपरोधत आंतरि स्तर से करवाये ज विकासकती द्वारा ग विकासकती द्वारा ग जा चुके हैं तो उन ग साथ ही यदि किसी ग गाथ ही यदि किसी शुल्क की किसी ग राध ही यदि किसी ग से र तर बोजना क्षेत्र में तो जा सकेगी । ई निर्धारित मानवण्डी रूवी एम. सडक के रिं तीसरी लेयर भय ग ती सित लेयर भय ग ती सित लेयर भय ग ती सित लेयर भय ग त मीधकरण में जनावर्ध्न के संबध में जलावर्ध्न के संवध में जलावर्ध के संवध में जलाव का में का मा संवध में जलाव का में का मा सि संवर में जलाव का साथ का साथ का मा साथ का साथ का मा साथ का साथ में जलाव का माय का साथ का साथ का साथ का माथ का साथ का माथ का साथ का माथ का माथ का माथ का माथ का माथ का माथ का माथ का माथ का माथ का साथ का माथ का माथ का माथ का	स प्राधिकरण द्वारा 1 061 दिनांकः 14.7.2 है जिसे प्रमुख आधा- अनुसार इसमें यदि को जाती है तो इस आयुथत स्तर रो किया रेक विकास की गया ताने निशियत किये गये योजना क्षेत्र में निर्धारि गदं के पेंटे राशि प्राधिकरण विकासकर्ता / निर्जा त्वर के पेंटे राशि प्राधि उस नद से संबंधित 3 विकासकर्ता / निर्जा त्वर आंतरिक विकास की येवर द्वारा डामरीकरण निर्जा विकासकर्ता/ ताना होगा । तें का आनुरूप नहीं होने येवर द्वारा डामरीकरण निर्जा विकासकर्ता/ ताना होगा । तें का आन्धता, शहर/ कासकर्ता / खारोदार नियमन शुल्क न शुल्क दर फ प्रतमीटर	005 के द्वारा र माना उगएगा किसी घुट/ संबंध में निर्णय जायेगा । में अंकित कार्य हे यदि किसी त मानदण्डों के को कोई राशि 1 खारेदार द्वारा करण में आज मांतरिक विलाय को अनुस्तम पूर्ण की मद के रूप धारेदार द्वारा के लिए रूपये खारोदार द्वारा को लिए रूपये खारोदार द्वारा को तिए रूपये खारोदार द्वारा को सिर पर जन प्रानीण वुत्त के
अतिरिक विकास भगकः जेग्रध्न- दिशिदिय्गे का निवेशक-अभियां आज दिनांक से जो प्राधिवरण के निवेशक-अभियां आज दिनांक से जो प्राधिवरण के निजी खानेदार/ अनुरूप करवाये देय नहीं होगी । अतरिक विकास देय नहीं होगी । अतरिक विकास देय नहीं होगी । अतरिक विकास प्रे द्य में स्वाये करवाया जा दुव में समायोजित के में स्वायोजित के में स्वयाया जा दुव में समायोजित के में स्वयाया जा दुव में समायोजित के प्रे द्य मही होगी । अतर्वा के स्वया अभियां कार्यालय जे अन् सबरेगा । 2) परिधे य विकास के लिए आरां यो विकास के लिए आरां यो विकास के लिए आरां	तेडीए/ वी- नेपरिश्ववियों के अ आवश्यकता महसूस त्रेकी के माध्यम से अ यूर्त उपरोधत आंतरि स्तर से करवाये ज विकासकती द्वारा ग विकासकती द्वारा ग जा चुके हैं तो उन ग साथ ही यदि किसी ग गाथ ही यदि किसी शुल्क की किसी ग राध ही यदि किसी ग से र तर बोजना क्षेत्र में तो जा सकेगी । ई निर्धारित मानवण्डी रूवी एम. सडक के रिं तीसरी लेयर भय ग ती सित लेयर भय ग ती सित लेयर भय ग ती सित लेयर भय ग त मीधकरण में जनावर्ध्न के संबध में जलावर्ध्न के संवध में जलावर्ध के संवध में जलाव का में का मा संवध में जलाव का में का मा सि संवर में जलाव का साथ का साथ का मा साथ का साथ का मा साथ का साथ में जलाव का माय का साथ का साथ का साथ का माथ का साथ का माथ का साथ का माथ का माथ का माथ का माथ का माथ का माथ का माथ का माथ का माथ का साथ का माथ का माथ का माथ का	661 रिगांक: १४.७.२ है जिसे प्रमुख आपा अनुसार इसमें यदि को जाती है तो इस आयुक्त स्तर से किया रेक विकास की मयो ताने दिश्चित किये गये योजना क्षेत्र में निर्धारि गदा के लिए प्राधिकरण के विकासकर्ता / निजी त्वर के पेटे राशि प्राधि रुप रुपये रोठ.00 प्रति पेक अनुरूप गही होने स्य आंतरिक विकास की पर रुपये रोठ.00 प्रति पेक अनुरूप गही होने स्य आंतरिक विकास की पर रुपये रोठ.00 प्रति पेक जनुरूप गही होने स्य आंतरिक विकास की वा कार्य वैकल्पिक क्षण अभिवंता, शाहर/ काराकर्सा / खारोवार नियमन शुल्क न	005 के द्वारा र भाना जगएगा किसी घट/ संबंध में निर्णय जायेगा । 1 अंतित कार्य 1 अंतित कार्य 1 अंतित कार्य को कोई सीत के नाद कि जा को जाई सीता करण में आज मांतरिक विरू ज को अनुरूप पूर्ण की मद के रूप पर कुल कम यर्ग मीटर तथा को लिए रूपये खातेयार द्वारा को लिए रूपये खातेयार द्वारा द्वानीण वृत्त के हारा किया जा
 सडक की घोडा पौडाई का डब्द डब्द्यू थी.एम. की 120.00 प्रति क जयपुर विकास 1 120.00 प्रति क जयपुर विकास 1 कार्यालय से अन् सकेंगा 1 वरिधे य विकार कार्यालय से अन् सकेंगा 1 वरिधे य विकार क.स. <u>1 पार्रेधी</u> <u>2 रूपान गुल्क</u> जयपुर विकास में निजी विकार के लिए आरा धोषित किया कर्माविक के विकार 	ई निर्धारित मानवण्डो ब्री.एम. सडक के ति तीसरी लेयर भय र्थ मंसीटर की वर से गांधकरण में जमा का के संबंध में जलापूर् त्रेकी विभाग के अधी लति लेकर निजी कि स एवं रूपान्तरण/ विवरण	स्प रुपये 120.00 माने पेयर द्वारा डानरीकरण निजी विकासकर्ता/ राना होगा ! ते का कार्य वैकल्पिक क्षण अभिवंता, शहर/' काराकर्ता / खारोपार <u>नियमन शुल्क -</u> <u>शुल्क दर ज्</u>	यग मादर तथ्ये के लिए रूपये खातेदार डारा । तीर पर जन प्रामीय वृत्त के हारा किया जा ! ! वेशेष
स्वास्थ्य आभया कार्यालय से अन् सकेंगा 1 2) यरिधे य विकार क.स. <u>1 पारेधी</u> 2 रूपान <u>शुल्क</u> स <u>पष्टीकारण :</u> (i) जयपुर विकास मं निजी विकार के लिए आर्गी घोषित किया	त्रको विमाग के अभा मति तेकर निजी कि स एवं कपान्तरण/ विवरण	नियमन शुल्क - शुल्क दर ज.	हारा किंगा जा
एगस्टीकरणः 1 पारेघी 2 रूपान शुल्क रपस्टीकरणः (i) जयपुर विकास में निजी विकास के लिए आराध घोषित किया भाषित किया	विवरण	राल्क दर '?.	- DOM SCOTTON OF THE
एगस्टीकरणः 1 पारेघी 2 रूपान शुल्क रपस्टीकरणः (i) जयपुर विकास में निजी विकास के लिए आराध घोषित किया भाषित किया	विवरण	राल्क दर '?.	- DOM SCOTTON OF THE
2 रुपा शुल्क रप्रस्टीकरण : (i) जयपुर विकास में निजी विकास के लिए आरा घोषित किया रुपार्थ के के			and the principal sector of the later
2 रुपान शुल्क रपष्टीकरण : (i) जयपुर विकास में निजी विकास के लिए आरा घोषित किया रुपानी के के	य विकाल	.50.00	
 जयपुर विकास में निजी विकास के लिए आरर्धि घोषित किया 	तरण/ नियमन	राज्य सरकार ह निर्धारित जोन ब की नियमन दरें	IT IN I
 जयपुर विकास में निजी विकास के लिए आरर्धि घोषित किया 	Contraction of the second		
 जयपुर विकास में निजी विकास के लिए आरर्धि घोषित किया 			
आवासीय नियम निर्धारित की ज	कितीओं/ खातेदारी तत दर उत्त योजना गया है, अतः उक्त ध्यधीन इन योजनाज न हेर्गु 2.5 प्रतिशत ।	तारी समिति (E.C.) ति की आवासीय योजनाअ की नियमन / रूप निर्णय के कम में रा औं हेतु लीज गनी एवं व्यावसायिक नियम	ग का लाज मना बान्तरण दर को ज्य सरकार की नियगन थर का
विकासकर्ता / निज करवाने पर उन्हें आं त्नॉट एरिया के आज होगा । इस शुल्क में नग्या है वे संशोधित होने पर योजना का हारा करवाया जावेग कोई आवश्यकता न करवाई जाने वाली कण्ड में जमा होगी वी आवश्यकता नहीं	तरिक विकास शुल् पार पर जयपुर वि तं आंतरिक विकास बिन्दु संख्या 7 वं आंतरिक विकास 1] इस स्थिति में नहीं होगी वि आंतरिक विकास	क 250 / - रू. प्र.य कास प्राधिकरण में की जिन मदों का के अनुसार होगी । न कार्य जयपुर विव अधियास प्रमाण प कासकर्ता / खातेर -युत्क की राशि उ के लिए अलग से	(मी. की दर से जमा करवाना समावेश किया यह राशि जमा कास प्राधिकरण न की अलग से प्रार द्वारा जमा मांतरिक विकास विकीय स्वीकवि

and the second sec

Page 15 of 16

जोनल अभियतः द्वारा जमा राशि का 90 प्रतिशतः तक खर्च करणा जायेगा

यदि निजी खातेदार योजना में आंतरिक विकास स्वय करता है तो एत जयपुर विकास प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा से अधिवास प्रनाण एव प्राप्त करना होगा । जल आपूर्ति व्यवस्था संबंधी कावौँ का परीक्षण जन रवारच्य अभियांत्रिकी विभाग के आधीक्षण आभियता, शहर/ग्रामीण कृत के कार्यालय द्वारा किया जाकर इस कार्य संबंधों पूर्णता प्रमाण पत्र जगते हात ही जांरी किया जायेगा । यदि निजी खालेवार हारा योजना क्षेत्र में करवाये गये विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिवारण वो मामवण्डा के अनुरूप नहीं होता है तो अधिवास प्रमाण पन्न जारी करने बाले अधिकाश दारा शेष रहे आंतरिक विकास का मूल्य निर्धारित किया जायेगा यो निजी खातेदार/ विकासकर्ता को जयपुर विकास प्राधिकरण में जामा कराना होगा तभी अधिवास प्रमाध पत्र जारी किया जा लकेगा । अधिवास ग्रमाण पद्य आवेदन करने के 30 दिवस में जारी किया आर्थमा। कितु यदि इस प्रकार पाये गये आपूर्ण विकास कार्य को भी जिलो खातेदार / विकासकतां रवयं अपने खर्चे पर पूर्ण करामा चाहता है हो योजना क्षेत्र के कुल भूखण्डों के 12.5 प्रतिशत के बरावर क्षेत्रपाल भ भुखण्डों को प्राधिकरण में निहित रखा जायेगा तथा इन्हें विकास करी वर्ण होने के समाम्यात में आरक्षित दर से इनके मूल्य की गणना का मुक्त किया जा सकेगा । उपरोक्तानुसार भुखण्ड प्राधिकरण में मिदिन करने के उपराग्त आतरिक विकास के अपूर्ण होने की रिवालि में म योजना का नियमन केम्प आयोजित किया जा सर्वामा अथवा आवितगा। रकरणों में पटटे दिये जा सवींगे ।

10. भूखण्डधारी को भूखण्ड क्य करने हेतु वित्तीय संस्थाओं से आप क आवश्यकता होती है जिसके लिए भूखण्ड का पदटा होना आवश्यक के कृषि भूमि के आवासीय ज्यथोग की प्रक्रिया में राजरथान भू-राजरू अधिनिदम 1956 की धारा 90 यी के तहत खातेंदार की भूमि जविप्रा क हक में समर्पित हो जाती है । ऐसी स्थिति में खातेदार / भूखण्ड के केता द्वारा मॉग किये जाने पर वित्तीय संस्थामां से अध्य हेतु अमाधति प्रमाण पत्र संबंधित उपायुक्त द्वारा जारी किया जा सकेमा

Page 16 of 16